

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1364] No. 1364] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2014/ आषाढ़ 6, 1936

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2014/ ASADHA 6, 1936

वस्त्र मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 2014

का.आ. 1633(अ).—केन्द्र सरकार ने, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 31 जनवरी, 2014 के आदेश सं. का.आ. 294(अ) द्वारा, निदेश दिया था कि उस आदेश की अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को आपूर्ति अथवा वितरण के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जैसे कि वर्ष 2013-2014 के लिए अर्थात् 30 जून, 2014 तक उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, पैक किया जाएगा।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देती है कि 30 जून, 2014 को समाप्त होने वाली उपरोक्त आदेश की वैद्यता का विस्तार उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा।

[फा. सं. 9/16/2011-पटसन]

सुनयना तोमर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 31 जनवरी, 2014 के आदेश सं. का.आ. 294(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES

Order

New Delhi, the 27th June, 2014

S.O. 1633(E).—Whereas the Central Government after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed by Order S.O. 294(E), dated the 31st January, 2014, that the commodities specified in column (2) of the Schedule to that Order, shall be packed in jute packaging material, for supply or

2637 GI/2014 (1)

distribution, in such minimum percentage, as specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, for the year 2013-2014 i.e. upto 30th June, 2014.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the validity of the aforesaid Order, expiring on 30th June, 2014, shall be extended for a further period of five months from the date of expiry of the said Order or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

SUNAINA TOMAR, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 294(E), dated the 31st January, 2014.